

प्रेषक,

डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या 3, गाजीपुर।

सेवा में,

महा-निबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा, माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

पत्रांक :

दिनांक :

विषय:- पुराने वाहन को बेचने एवं नये वाहन को खरीदने की अनुमति के संदर्भ में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वाहन संख्या यू.पी. 78बीबी/3614 का मैं पंजीकृत स्वामी हूँ। इस वाहन का प्रयोग न्यायालय आने-जाने हेतु किया जाता है। इस वाहन को वर्ष 2005 में क्रय किया गया था। अर्थात् लगभग 14 वर्ष पुराना हो चुका है। यह वाहन लगभग निष्प्रयोज्य हो गया है। अतः मुझे नये वाहन की आवश्यकता है। मेरे द्वारा नियुक्ति से पूर्व के चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है जिसमें मैंने इस वाहन का उल्लेख किया है।

इसके साथ ही वाहन संख्या यू.पी.78ई/9001 बजाज चेतक स्कूटर वर्ष 1992 एवं वाहन संख्या यू.पी.77/6833 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप वर्ष 1996 मेरे नाम से पंजीकृत है। वर्तमान में इन दोनों वाहनों का उपयोग न होने के कारण लगभग निष्प्रयोज्य हो गये हैं। अतः इन वाहनों को भी बेचे जाने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा उपरोक्त सभी वाहनों को मेरी नियुक्ति से पूर्व क्रय किया गया था जिसका विवरण मेरे द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। मेरे द्वारा पत्र संख्या 203/XV दिनांकित 24.01.2020 तथा पत्र संख्या 612/XV दिनांकित 29.05.2020 को अनुमति हेतु माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया गया है किन्तु अभी तक उक्त के संदर्भ में अनुमति प्राप्त नहीं है।

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वाहनों को बेचे जाने एवं नये वाहन खरीदे जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर),

जे.ओ.कोड यू.पी. 2183

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं0 3, गाजीपुर।

दिनांक : 02.12.2020

1313/XV दिनांक 02-12-2020

अग्रसारित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
गाजीपुर

प्रेषक,

डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या 3, गाजीपुर।

सेवा में,

महा-निबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा, माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

पत्रांक :

दिनांक :

विषय:- पुराने वाहन को बेचने एवं नये वाहन को खरीदने की अनुमति के संदर्भ में स्मृति-पत्र।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वाहन संख्या यू.पी. 78बीबी/3614 का मैं पंजीकृत स्वामी हूँ। इस वाहन का प्रयोग न्यायालय आने-जाने हेतु किया जाता है। इस वाहन को वर्ष 2005 में क़य किया गया था। अर्थात् लगभग 14 वर्ष पुराना हो चुका है। यह वाहन लगभग निष्प्रयोज्य हो गया है। अतः मुझे नये वाहन की आवश्यकता है। मेरे द्वारा नियुक्ति से पूर्व के चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है जिसमें मैंने इस वाहन का उल्लेख किया है।

इसके साथ ही वाहन संख्या यू.पी.78ई/9001 बजाज चेतक स्कूटर वर्ष 1992 एवं वाहन संख्या यू.पी.77/6833 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप वर्ष 1996 का भी प्रयोग न होने के कारण एवं पुराना होने के कारण लगभग निष्प्रयोज्य हो गये हैं। अतः इन वाहनों को भी बेचे जाने की आवश्यकता है। उक्त वाहनों को बेचने तथा नये वाहन खरीदने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु एक पत्र सं0 203/xv दिनांकित 24.01.2020 को माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित किया गया है किन्तु अब तक अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी है।

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वाहनों को बेचे जाने एवं नये वाहन को खरीदे जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्नक- यथोपरि।

दिनांक : 29.05.2020

भवदीय,



29-05-2020

(डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं0 3, गाजीपुर।

जे.ओ.कोड यू.पी. 2183

612/xv 29.05.2020  
अग्रसारित  
29/5/20  
जनपद न्यायाधीश  
गाजीपुर

प्रेषक,

डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या 3, गाजीपुर।

सेवा में,

महा-निबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा, माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

पत्रांक :

दिनांक :

विषय:- पुराने वाहन को बेचने एवं नये वाहन को खरीदने की अनुमति के संदर्भ में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वाहन संख्या यू.पी. 78बीबी/3614 का मैं पंजीकृत स्वामी हूँ। इस वाहन का प्रयोग न्यायालय आने-जाने हेतु किया जाता है। इस वाहन को वर्ष 2005 में क्रय किया गया था। अर्थात् लगभग 14 वर्ष पुराना हो चुका है। यह वाहन लगभग निष्प्रयोज्य हो गया है। अतः मुझे नये वाहन की आवश्यकता है। मेरे द्वारा नियुक्ति से पूर्व के चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है जिसमें मैंने इस वाहन का उल्लेख किया है।

इसके साथ ही वाहन संख्या यू.पी.78ई/9001 बजाज चेतक स्कूटर वर्ष 1992 एवं वाहन संख्या यू.पी.77/6833 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप वर्ष 1996 का भी प्रयोग न होने के कारण एवं पुराना होने के कारण लगभग निष्प्रयोज्य हो गये हैं। अतः इन वाहनों को भी बेचे जाने की आवश्यकता है।

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वाहन को बेचे जाने एवं नये वाहन को खरीदे जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक : 23.01.2020

(म) 23-01-2020

(डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं0 3, गाजीपुर।  
जे.ओ.कोड यू.पी. 2183

कम.क्र. 203/87 दिनांक 24-01-2020  
अग्रसारित  
जनपद न्यायाधीश  
गाजीपुर